नन्दलाल बनाम राज्य सर...

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

प्रार्थना 151 CPC मु० नं० 86/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
25/09/19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं प्रतिवादी का प्रतिनिधि उपस्थित। प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रार्थना-पत्र u/s 151 CPC पेश हुआ जिसकी नकल प्रार्थी के वकील को दिलाई गई। प्रतिवादी के वकील प्रतिपक्ष को किया गया एवं प्रतिवादी के जवाब का अवलोकन किया गया। मुताबिक जवाब पर वकील प्रतिपक्ष को सुना गया। मुताबिक जवाब प्रतिवादी विवादित भूमि ख० नं० 217 रकबा 0.79 है० तन ग्राम मेघपुरा प० ह० आदपाडी में आकारनीय खातेदारान द्वारा अनाधिकृत रूप से गैर कृषि कार्य में एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उक्त विवादित भूमि उपयोग ली जा रही है। पूर्व में के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव नं० 8 द्वारा दिनांक 15-11-1994 को उक्त भूमि को आबादी में परिवर्तित करने हेतु निर्णय पारित किया गया है जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि उक्त भूमि पर सन् 1994 से पूर्व से ही आबादी बनी हुई है। इस प्रकार प्रार्थी उक्त विवादित भूमि का राज्य सरकार की ओर से दिये अधिकार के विपरीत गैर कृषि कार्य में उपयोग कर रहे हैं। प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय हाजा द्वारा अपनी प्रकरण तहसीलदार बनाम नन्दलाल प्रकरण मु० नं० 22/2019 में पारित बेदखली के निर्णय दिनांक 16/08/2019 की क्रियान्विति को रोकने हेतु स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है, जो प्रथम दृष्टया खारिज योग्य है। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड, जवाब प्रतिवादी फर्द मौका रिपोर्ट दिनांकित 30/05/2019 का अवलोकन किया गया। चूंकि विवादित कृषि भूमि ख० नं० 217 रकबा 0.79 है० का मुताबिक जवाब प्रतिवादी एवं फर्द मौका रिपोर्ट ...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	स्पष्ट है। उक्त विवादित भूमि के संबंध में न्यायालय हाजा द्वारा तहसीलदार बनाम नन्दलाल वगैरह मु० नं० 27/2017 में विवादित भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मानते हुए विवादित भूमि को सिवायचक घोषित किये जाने एवं खातेदारान की बेदखली कर कब्जा राज लिए जाने के आदेश दिनांक 16/08/2017 को पारित किये जा चुके है, जिनकी क्रियान्विति को रोकने/विलम्बित करने के आशय से प्रार्थी द्वारा एकपक्षीय स्थगनादेश प्राप्त किया है जो राजकीय हितो के विपरीत है। अत: उक्त तथ्यो के आलोक में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र u/s 151 CPC खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।	
	25-9-17 उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)	

Scanned by CamScanner